तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **रेस्टोरशन प्रार्थना–पत्र सं0 01/2017 गोपीराम वगैरा बनाम पुटाराम वगैरा**	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25-05-2018	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अभिभाषक श्री रूघाराम चौधरी द्वारा कैम्प कोर्ट बालेसर दिनांक 21.05.2017 को उनकी बहस सुनी जाकर यह प्रकरण आज निर्णय हेतु रखा गया है। प्रार्थीगण के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष एक अपील पेश की जो माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष तामिल हेतु मुकर्रर थी, लेकिन गत तारीख पेशी पर माननीय न्यायालय हाजा द्वारा अपील अदम हाजिर व अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। प्रार्थी के अभिभाषक दिनांक 28.11.2016 को निजी कार्य से जोधपुर से बाहर गये होने के कारण अपने कनिष्ठ अधिवक्ता को कार्य पेशी व प्रकरण की पैरवी हेतु हिदायत दी गई लेकिन कनिष्ठ अधिवक्ता माननीय न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए तब तक माननीय न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण को अदम हाजिर व अदम पैरवी में खारिज करने का आदेश पारित कर चुके थे। प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करवाना चाहते है। इसलिए प्रकरण को पुनः रेस्टोर किये जाने का निवेदन किया। इस प्रकरण में अप्रार्थी गण को तलब करने हेतु कैम्प कोर्ट नोटिस दिनांक 21.05.2018 को जारी कर तहसील कार्यालय बालेसर में उपस्थित होने हेतु जारी किया गया था। अप्रार्थी गण को जारी नोटिस तामिल कुलिन्दा की रिपोर्ट अनुसार उनके आबाद मकान पर दो मौतबिरान की उपस्थिति में चस्पानगी की गई। लेकिन नियत तारीख पेशी को उपस्थित नहीं हुए। अतः इस प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किए जाने का निवेदन प्रार्थी अभिभाषक द्वारा किया जा चुका है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जा कर, मूल राजस्व अपील संख्या 60/2016 गोपीराम वगैरा बनाम पुटाराम वगैरा पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी अभिभाषक को यह भी निर्देश है कि वह मूल अपील की सुनवाई हेतु रेस्पोडेन्ट के जरिए रजिस्टर्ड डाक से नोटिस अपने स्तर पर भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। निर्णय सुनाया गया। **(छगनलाल गोयल)** **अपर जिला कलक्टर(प्रथम)** **जोधपुर**	